संपादकीय

छोटे जुर्म पर न होगी कारावास की सजा

अक्सर *सवाल उठाया जाता है कि क्या स्वतंत्रता मिलने के बावजूद देश का कानून उतना संवेदनशील व व्यावहारिक है, जो किसी लोकतांत्रिक देश के लिये अपरिहार्य होना चाहिए। विभिन्न मामलों में कानून की परिभाषा के अंतर्गत तमाम ऐसे व्यवस्थागत अतिक्रमण हैं जिन्हें गंभीर जुर्म की श्रेणी में रखा गया है। जाने-अनजाने में हुए ऐसे जुर्मों को लेकर जेल की सजा और आर्थिक जुर्माना यानी दोनों लागू होने को लेकर भी सवाल उठाये जाते हैं। सवाल यह भी कि जब जेल हुई है तो आर्थिक दंड क्यों वहीं दूसरी ओर देश में अंग्रेजों के जमाने के तमाम कानून प्रचलित हैं जो स्वतंत्र देश की व्यवस्था में तार्किक नजर नहीं आते। राजग सरकार की उस मुहिम की सराहना करनी होगी कि जिसके अंतर्गत उसके नौ साल के कार्यकाल में 1500 ऐसे कानून निरस्त किये गये, जो अमृतकाल तक पहुंचे देश में न्याय की कसौटी में खरे नहीं उतरते थे। दरअसल, तमाम कानून ऐसे थे जो अंग्रेजी राज को स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध से संरक्षित करते थे। वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत आजादी पर अंकुश लगाते थे। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनविश्वास विधेयक पर मोहर लगा दी है। जिसके अंतर्गत 42 कानूनों में बदलाव किया जायेगा। इनके तहत आने वाले 183 प्रावधानों में बदलाव होगा। दरअसल, इस प्रयास का मकसद अदालतों में मुकदमों का बोझ कम करना, कारोबारी सुगमता बढ़ाना तथा छोटे अपराधों के मामलों में लोगों को जेल जाने से बचाना है। दरअसल, यह पहल छोटे अपराधों के मामले में कारावास की सजा को खत्म करने का प्रयास है। ऐसे मामलों में सिर्फ आर्थिक दंड ही लगाया जायेगा।*

गत बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनविश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। दरअसल, इस विधेयक को दिसंबर 2022 में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में पेश किया था। इस बिल को तार्किक बनाने व इससे जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिये कालांतर संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। दरअसल, इस मुद्दे पर गंभीर मंथन के लिये 31 सदस्यीय समिति का गठन विशेष रूप से किया गया। जिसमें विधायी और विधि मामलों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों से लंबा विमर्श किया गया। इतना नहीं, इस मुद्दे पर विभिन्न राज्यों से भी राय ली गई। तदुपरांत, इस वर्ष मार्च में समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। समिति ने राज्यों को भी ऐसे प्रावधानों में संशोधन के लिये प्रेरित करने की सलाह दी थी। समिति का मानना था कि केंद्र राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों को प्रेरित करे कि वे जनविश्वास विधेयक की तर्ज पर छोटे जुर्मों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने को कानूनी उपाय करें। दरअसल, विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, आर्थिक दंड का निर्धारण गलती की गंभीरता के अनुसार होना चाहिए। गलती की पुनरावृत्ति पर जुर्माना राशि में वृद्धि की जाएगी। दरअसल, इस विधेयक में अंग्रेजी शासन के समय से चले आ रहे अनेक ऐसे कानूनों में कारावास की सजा समाप्त करने की सिफारिश है, जो मौजूदा दौर में तार्किक व न्याय की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।

ब्रिटिश कालीन जिन कानूनों में संशोधन होना है उनमें भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, कृषि उपज (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम 1937,औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944 आदि शामिल हैं। दरअसल, विधेयक में अपराध की गंभीरता के आधार पर आर्थिक दंड को तर्कसंगत बनाने और भरोसे पर आधारित शासन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। साथ ही इसमें विभिन्न अपराधों के लिये जुर्माने में समीक्षा का भी प्रावधान है, हर तीन साल में जुर्माने की राशि दस फीसदी बढ़ा दी जायेगी। वहीं ब्रिटिश शासन को संरक्षण देने वाले भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के सभी अपराधों को खत्म कर दिया जायेगा। दरअसल, कोशिश यही है कि छोटे अपराध के लिये बड़ी सजा न मिले और आर्थिक दंड को सुधारात्मक दृष्टि से उपयोग में लाया जाये। सरकार का कहना है कि यह प्रयास कारोबार को सुगम बनाने और नागरिकों के दैनिक कामकाज को आसान बनाने में सहायक होगा। निस्संदेह, केंद्र सरकार की इस रचनात्मक पहल का स्वागत किया जाना चाहिए।

न्यायपालिका बनाम सरकारः कौन किसे सुधारे..?

कोर्टयार्ड

-अरविन्द मोहन

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिछले दिनों सीधे-सीधे यह कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से दायर कम से कम चालीस फीसद मामले विचार योग्य ही नहीं होते। खंडपीठ ने एक उदाहरण देकर बताया कि किसी कर्मचारी को प्रति माह 700 रुपये देने के फैसले के खिलाफ मुकदमा करने पर सरकार ने सात लाख रुपये खर्च कर दिए।

किरन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाए जाने को सबने उनकी जरा ऊंची बयानबाजी से जोड़कर देखा-समझा। वैसे उनका राजनैतिक मोल भी किसी जनाधार की जगह बयानबाजी और पूर्वोत्तर का चेहरा होने से ज्यादा रहा है पर उनके विभाग की बदली के पहले यह भी माना जाता था कि उनके माध्यम से भाजपा और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बात आ रही है कि न्यायपालिका अपनी सीमा में रहे।

इसे एक 'दबाव' वाली रणनीति माना जाता था कि कॉलेजियम से हो रहीं नियुक्ति के मामले में जजों की ज्यादा चलती होने को आगे करके सरकार न्यायपालिका पर दबाव बना रही है। उसी रिजिजू ने पिछले पांच वर्षों में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में सवर्णों की भरमार के सवाल पर संसद में सफाई दी थी कि सरकार अपनी तरफ से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को कहती रही है कि जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समाज के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व दें। जब एक संसदीय समिति की जांच में हाई कोर्ट में नवनियुक्त 537 जजों में 424 जजों के सवर्ण (जबकि 20 जजों की जाति का पता नहीं था) नियुक्त होने की बात सामने आई थी तब कानून मंत्री का बयान सामने आया था। सरकार का पक्ष रखते हुए वे आरक्षण या विशेष अवसर की जगह न्यायपालिका द्वारा जारी रवायत का समर्थन कर रहे थे।

पर इस प्रसंग से भी ज्यादा दोहरापन रिजिजू की विदाई के तत्काल बाद सामने आया जब केंद्र सरकार से विदा होकर एक सांविधानिक संस्था का मुखिया बने हंसराज अहीर यह रिपोर्ट लेकर आए कि पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और राजस्थान जैसी सरकारों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल आयोग द्वारा तय कोटे से भी कम आरक्षण दिया है। अब संयोग से ये सारी राज्य सरकारें विपक्षी दलों की हैं, सो भाजपा को एक हथियार मिल गया। आम धारणा में भाजपा को तो आरक्षण विरोधी दल माना जाता है जबकि नीतीश-लालू, ममता बनर्जी वगैरह आरक्षण के चैंपियन गिने जाते हैं। जातिवार जनगणना के सवाल पर बैकफुट पर आई भाजपा की तरफ से इसे मजबूत दांव माना गया। जो सवाल अहीर की तरफ से उठे उनका जवाब भी आसान न था क्योंकि बंगाल और ओडिशा ही नहीं, बल्कि राजस्थान के लिए भी तब भी आरक्षण कोई मुद्दा न था जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया था तब तो भाजपा सीधे ही इसका विरोध कर रही थी लेकिन लालू, नीतीश, रामविलास पासवान, शरद यादव वगैरह तो इसी की राजनीति से आसमान चढ़े हैं। भाजपा का यह मुद्दा ज्यादा चला होगा, यह कहना मुश्किल है क्योंकि अगले चुनाव के ठीक पहले उसने समान नागरिक संहिता का सवाल भी उठा दिया है।

दूसरी ओर उसके विरोधी खासकर मंडलवादी जमात की तरफ से स्कूल-कॉलेज में दाखिले से लेकर नौकरियों में पिछड़ों को तय कोटे से कम हिस्सा मिलने का सवाल आंकड़ों के साथ उठने लगा और इस मामले में मोदी शासन काल के पांच वर्षों में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियों में पिछड़ा/दलितों/आदिवासियों ही नहीं, महिलाओं की हिस्सेदारी का सवाल भी सरकार और न्यायपालिका, दोनों को सवालों के घेरे में लाता है। यह हिसाब भी संसदीय स्टैंडिंग कमेटी का है। इसलिए इस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इन नियुक्तियों में जनरल कोटे से 79 फीसद पद भरे गए थे जबकि 20 जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता नहीं चला। 537 में ओबीसी वर्ग के 11 फीसद लोग ही आ पाए थे।

अनुसूचित जातियों का हिस्सा आबादी में चाहे जो हो और उनके लिए आरक्षण का इंतजाम सबसे पहले से हो लेकिन उस वर्ग से भी मात्र 2.6 फीसद लोग ही आए थे। नये नियुक्त जजों में आदिवासियों का अनुपात तो मात्र 1.3 फीसद था। कमेटी का अनुमान था कि इन नियुक्तियों में महिलाओं का हिस्सा भी तीन फीसद से ज्यादा न था। उल्लेखनीय है कि जजों की नियुक्ति संविधान की धारा 217 के तहत होती है, जिसमें आरक्षण की बात ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अपने चर्चित फैसले में साफ कहा था कि नियुक्तियों के समय समाज के सभी वगरे के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाना चाहिए। तब इसी अदालत ने यह भी कहा था कि हमारे लोकतंत्र का मतलब अल्पतंत्र के शासन को और मजबूत करते जाना न होकर देश के सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि यह बदलाव सरकार से भी ज्यादा न्यायपालिका के ऊपर निर्भर करता है। कमेटी ने जजों की नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और पति-पत्नीवाद या दूसरे तरफ के पक्षपात पर ध्यान दिया होता तो और भी बदरूप नजर आता।

हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाने वाली प्रशांत भूषण की याचिका जाने कब से सुनवाई के लिए पड़ी है। खुद मुख्य न्यायाधीश पर महिला के शोषण का आरोप, उनके द्वारा दिए पक्षपाती फैसले और रिटायरमेंट के तत्काल बाद राज्य सभा में आने के किस्से जगजाहिर हैं। अधिकांश जजों को सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे पद देना चलन सा बन गया है। इसलिए फैसलों के स्तर को लेकर भी वैसे ही सवाल उठते हैं जैसे नियुक्तियों वाले जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर। पर दोष एकतरफा नहीं है।

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिछले दिनों सीधे-सीधे यह कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से दायर कम से कम चालीस फीसद मामले विचार योग्य ही नहीं होते। खंडपीठ ने एक उदाहरण देकर बताया कि किसी कर्मचारी को प्रति माह 700 रुपये देने के फैसले के खिलाफ मुकदमा करने पर सरकार ने सात लाख रुपये खर्च कर दिए। जाहिर तौर पर अदालत यह नहीं कह सकती थी कि इन चालीस फीसद फर्जी मामलों में ज्यादातर राजनैतिक होते हैं। ऐसे चर्चित मामलों की फेहरिस्त दी जा सकती है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि ऐसा सिर्फ इसी सरकार के समय नहीं हुआ है, भले ही आज यह रोग बढ़ गया हो।

उल्लेखनीय है कि एक अन्य फैसले में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि सरकार की तरफ से दायर ज्यादातर मामलों में अदालती सुनवाई की नहीं मध्यस्थता की जरूरत है क्योंकि उनको इसी तरह ज्यादा आसानी से निपटाया जा सकता है। तो फिर इस पर अमल करने में अड़चन क्या है

इंटरनेट प्रतिबंधः कम करना होगा नुकसान

मुद्दा

-प्रभात सिन्हा

आजकल आये दिन शासन-प्रशासन द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के समाचार मिलते रहते हैं। इंटरनेट पर प्रतिबंध के प्रमुख कारणों में हिंसा, दंगे, धरना, प्रदर्शन, परीक्षा का विरोध इत्यादि प्रमुख कारण हैं।

वास्तव में इंटरनेट से संचालित सोशल मीडिया चैनलों के व्यापक प्रसार के कारण कोई भी सूचना मिनटों में पूरे देश और दुनिया में प्रसारित हो जाती है। असामाजिक तत्व ऐसे मौकों का फायदा उठाकर गलत सूचना का प्रसार करते हैं, जिससे देश के किसी एक कोने में हुआ छोटा विद्वेष मिनटों में पूरे देश में फैल जाता है। फिर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे अनेकों सोशल मीडिया माध्यमों से खबर फैलते देर नहीं लगती।

वर्तमान में देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर घाटी बहुल मैइति और पहाड़ी बहुल कुकी जनजाति के बीच हिंसा भड़कने के बाद सरकार ने 3 मई को मणिपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया जो अनवरत है। मणिपुर उच्च न्यायालय के प्रतिबंध हटाने के निर्देश के बाद मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। मणिपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध पहली घटना नहीं है, बल्कि देश में आये दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहां इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है।

इंटरनेट बैन से तत्काल हिंसा और अन्य अप्रिय घटनाओं से राहत तो मिल जाती है, लेकिन उसका बुरा प्रभाव सार्वजनिक सेवाओं और व्यवसाय पर पड़ता है। 2022 में प्रशासन की ओर से देश में 84 बार इंटरनेट सेवा को निरस्त करना पड़ा था। भारत में 2012 के बाद से कुल 500 से ज्यादा इंटरनेट बैन में से लगभग आधे अकेले जम्मू-कश्मीर में लगे हैं। अब तक का सबसे लंबा 213 दिनों का इंटरनेट प्रतिबंध भी जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त, 2019 से मार्च, 2020 तक लगा था। 2022 में राजस्थान के कई इलाकों में 16 बार और पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में 7 बार इंटरनेट पर बैन लगाना पड़ा था।

इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने संबंधी नियम 2017 में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा बनाया गया था, जिसे दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम के तौर पर जाना जाता है। इस के तहत इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केंद्रीय और राज्य स्तर पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास होता है, जिसके तहत 'सार्वजनिक आपातकाल' की स्थिति में इंटरनेट सेवाओं का अस्थायी निलंबन किया जा सकता है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के आंकड़ों के अनुसार 2019 में इंटरनेट शटडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 1.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार 2021 में पूरी दुनिया में 30,000 घंटों से ज्यादा इंटरनेट सेवाओं को रोका गया था, जिसके कारण 5.45 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। भारत में 2021 में 1,150 घंटे से ज्यादा इंटरनेट अवरोधित रहा था, साथ ही हमारा देश इंटरनेट प्रतिबंध से हुए आय के नुकसान में तीसरे नंबर पर था। इंटरनेट बैन के व्यवसाय पर असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2020 में दिल्ली में 24 घंटे के इंटरनेट शटडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को 8 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ था।

आजकल दूरसंचार कंपनियां हों या बहुराष्ट्रीय कंपनियां, हर जगह फोन कॉल और एसएमएस का स्थान अब इंटरनेट आधारित कॉल और मैसेज ने ले लिया है। कोविड महामारी के बाद तो इ-कॉमर्स, इंटरनेट आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर और एप इत्यादि का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ गया। इंटरनेट पर प्रतिबंध से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। जैसे 2019 में कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन के कारण हजारों छात्र ऑनलाइन परीक्षा देने से वंचित रह गए। वैसे ही 2021 में असम में इंटरनेट शटडाउन के कारण आम जनता को कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलने में तमाम परेशानियां हुई। इंटरनेट शटडाउन के नुकसान का संज्ञान लेते हुए संचार और आईटी मामलों के संसदीय पैनल ने हाल में अपने सुझाव पेश किए हैं जिनके तहत ट्राई को इंटरनेट कॉल और चुनिंदा मैसेजिंग एप पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है, ताकि किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट बैन के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके।

मूलत: इंटरनेट बैन का मुख्य उद्देश्य भ्रामक और नफरत फैलाने वाले संदेशों को फैलने से रोकना होता है, जिसे चुनिंदा साइट और एप पर प्रतिबंध लगाकर हासिल किया जा सकता है। ट्राई ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं पूर्णतया बंद करने पर अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान होता है। नफरत फैलाने वाली वेबसाइट्स और एप की पहचान कर उनको स्थायी रूप से बैन करने का काम तेजी से चल रहा है। चिह्नित स्रोतों पर बैन लगाने से आतंकियों और अखंडता विरोधी तत्वों के कुत्सित कृत्यों को रोकना संभव होगा। इससे आम सेवाएं और व्यवसाय भी अबाधित चलते रहेंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा।

आजकल

पानी-पानी होती नईदिल्ली

जीवनदायिनी यमुना दिल्ली के लोगों को डरा रही है। वजह है यमुना का जल स्तर पिछले 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। बुधवार शाम छह बजे यमुना का जल स्तर 207.55 मीटर तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली में यमुना के खतरे का निशान 205.33 मीटर ही है। उस पर केंद्रीय जल आयोग की भविष्यवाणी डरा रही है कि बुधवार की रात को यमुना का जलस्तर 207.72 मीटर तक पहुंचने की आशंका है। निस्संदेह, यह दिल्ली वालों के लिये अच्छी खबर नहीं है। अब जब यमुना का पानी रिंग रोड व कश्मीरी गेट स्थित आईएसबीटी के निकट सड़कों तक पर दस्तक देने लगा है, तो दिल्ली सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई हैं। इससे दिल्ली का यातायात भी प्रभावित हो रहा है। यमुना के उफान को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एनडीआरएफ से मदद मांगी है। नदी के किनारों पर स्थित निचले स्थानों पर पहले ही बाढ़ जैसे हालात हैं और विस्थापितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तटों की तरफ लोगों की आवाजाही रोकने के लिये धारा 144 लगाई गई है। संकट के बाबत मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रशासनिक व राहत से जुड़े विभागों की आपात बैठक बुलायी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री को भेजे पत्र में चिंता जाहिर की है कि हथिनी कुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़े जाने से यह संकट पैदा हुआ है। दिल्ली को बचाने के लिये छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को कम किया जाये। उन्होंने चेताया है कि यदि बाढ़ आती है तो आने वाले दिनों में दिल्ली में होने वाले जी-20 शिखर की मेजबानी के चलते दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जायेगा। केंद्रीय गृहमंत्री को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा है कि अगर तुरंत यमुना में हथिनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी को नहीं रोका गया तो दिल्ली में हालात बिगड़ सकते हैं। निस्संदेह, हालात लोगों की फिक्र बढ़ाने वाले ही हैं। दरअसल, चिंता की बात यह भी है कि फिलहाल दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने पंद्रह व सोलह जुलाई के लिये बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जाहिर है कि यदि बारिश होती है तो समस्या जटिल हो सकती है।

सकारात्मक ऊर्जा की स्रोत है सावन शिवरात्रि

योगेश कुमार गोयल

सावन शिवरात्रि (15 जुलाई) पर विशेष

शिवरात्रि को भगवान शिव का सबसे पवित्र दिन माना गया है, जो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी है। हालांकि पूरे साल मनाई जाने वाली इन शिवरात्रियों में से दो की मान्यता सर्वाधिक है, फाल्गुन महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि। प्राय: जुलाई या अगस्त माह में मानसून के सावन महीने में मनाई जाने वाली सावन शिवरात्रि को कांवड़ यात्रा का समापन दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 जुलाई शनिवार को रात 8.32 बजे से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 16 जुलाई की रात 10.08 बजे होगा। विभिन्न हिन्दू तीर्थ स्थानों से गंगाजल भरकर शिवभक्त अपने स्थानीय शिव मंदिरों में इस पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार भारत में सावन शिवरात्रि का बहुत महत्व है। इस दिन गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तीर्थस्थलों के गंगाजल से जलाभिषेक के साथ भगवान शिव की विधि विधान से पूजा-अर्चना करने और व्रत रखने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख शांति बनाए रखने के लिए भी यह व्रत लाभकारी माना गया है। सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखने से क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान और लोभ से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ माना गया है और यह व्रत रखने से क्रोध, ईष्या, अभिमान तथा लोभ से भी मुक्ति मिलती है।

सर्वत्र पूजनीय शिव को समस्त देवों में अग्रणी और पूजनीय इसलिए भी माना गया है क्योंकि वे अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और दूध या जल की धारा, बेलपत्र व भांग की पत्तियों की भेंट से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे भारत की भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता के प्रतीक हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई गांव मिले, जहां भगवान शिव का कोई मंदिर अथवा शिवलिंग स्थापित न हो। यदि कहीं शिव मंदिर न भी हो तो वहां किसी वृक्ष के नीचे अथवा किसी चबूतरे पर शिवलिंग तो अवश्य स्थापित मिल जाएगा। हालांकि बहुत से लोगों के मस्तिष्क में यह सवाल उमड़ता है कि जिस प्रकार विभिन्न महापुरूषों के जन्मदिन को उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव के जन्मदिन को उनकी जयंती के बजाय रात्रि के रूप में क्यों मनाया जाता है इस संबंध में मान्यता है कि रात्रि को पापाचार, अज्ञानता और तमोगुण का प्रतीक माना गया है और कालिमा रूपी इन बुराईयों का नाश करने के लिए हर माह चराचर जगत में एक दिव्य ज्योति का अवतरण होता है, यही रात्रि शिवरात्रि है। शिव और रात्रि का शाब्दिक अर्थ एक धार्मिक पुस्तक में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जिसमें सारा जगत शयन करता है, जो विकार रहित है, वह शिव है अथवा जो अमंगल का ह्रास करते हैं, वे ही सुखमय, मंगलमय शिव हैं। जो सारे जगत को अपने अंदर लीन कर लेते हैं, वे ही करूणासागर भगवान शिव हैं। जो नित्य, सत्य, जगत आधार, विकार रहित, साक्षीस्वरूप हैं, वे ही शिव हैं।

शिव के मस्तक पर अर्द्धचंद्र शोभायमान है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय समुद्र से विष और अमृत के कलश उत्पन्न हुए थे। इस विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि इससे समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता था, ऐसे में भगवान शिव ने इस विष का पान कर सृष्टि को नया जीवनदान दिया जबकि अमृत का पान चन्द्रमा ने कर लिया। विषपान करने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिससे वे 'नीलकंठ' के नाम से जाने गए। विष के भीषण ताप के निवारण के लिए भगवान शिव ने चन्द्रमा की एक कला को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। यही भगवान शिव का तीसरा नेत्र है और इसी कारण भगवान शिव 'चन्द्रशेखर' भी कहलाए। धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव के बारे में उल्लेख मिलता है कि तीनों लोकों की अपार सुन्दरी और शीलवती गौरी को अर्धांगिनी बनाने वाले शिव प्रेतों और भूत-पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनका शरीर भस्म से लिपटा रहता है, गले में सर्पों का हार शोभायमान रहता है, कंठ में विष है, जटाओं में जगत तारिणी गंगा मैया हैं और माथे में प्रलयंकर ज्वाला है। बैल (नंदी) को भगवान शिव का वाहन माना गया है और ऐसी मान्यता है कि स्वयं अमंगल रूप होने पर भी भगवान शिव अपने भक्तों को मंगल, श्री और सुख-समृद्धि प्रदान करते हैं।